संख्या- 185 / 2023 / 1079 /चार-2023-1(बजट)2017

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2023

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संग्रहालय निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों/ इकाईयों के वेतन भत्ते एवं अन्य बचनबद्ध व्ययों की पूर्ति हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 02 /उ0प्र0सं0नि0-2(96)/2023-24 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में संग्रहालय निदेशालय लखनऊ के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू0 2232.85 लाख (रूपये बाइस करोड़ बत्तीस लाख पिचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- प्रश्नगत धनराशि का आहरण वित्तीय हस्तपुस्तिका के संगत नियमों के अनुसार राजकोष से किया जाएगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का आवंटन मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ कहीं आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सक्षम किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन तथा इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डडर्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 185 / 2023/ 1079 (1)/चार-2023-1 (बजट)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज ।
4- सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ ।
5- आहरण एवं वितरण अधिकारी-सहायक निदेशक, राज्य संग्रहालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 185 / 2023/ 1079 /चार-2023 -1 (बजट)/2017 दिनांक 18 अप्रैल, 2023 का संलग्नक

चालू वित्तीय वर्ष 2023 -24 के लिये जारी स्वीकृतियों का विवरण

ब्यौरेवार शीर्षक	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत धनराशि (लाख रूपये में)
1	2	3
107- संग्रहालय निदेशालय		
03- अधिष्ठान		
01- वेतन	1108.64	1108.64
02- मजदूरी	20.00	20.00
03-मँहगाई भत्ता	498.89	498.89
04-यात्रा व्यय	5.70	5.70
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.60	0.60
06-अन्य भत्ते	2.20	2.20
07-मानदेय	1.00	1.00
08-कार्यालय व्यय	4.50	4.50
09- विद्युत देय	176.00	176.00
10-जलकर/जल प्रभार	1.10	1.10
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	3.30	3.30
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.00	4.00
13-टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.50
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	1.32	1.32
18-प्रकाशन	1.50	1.50
26- मशीने और सज्जा /उपकरण और संयत्र	3.00	3.00
29-अनुरक्षण	12.50	12.50
42-अन्य व्यय	307.50	307.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2.00	2.00
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.50	2.50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.50	3.50
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.50	1.50
49-चिकित्सा व्यय	15.00	15.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
55- मकान किराया भत्ता	49.00	49.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1.10	1.10
योग	**2232.85**	**2232.85**

(रूपये बाइस करोड़ बत्तीस लाख पिचासी हजार मात्र)

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।